न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

परिवाद प्रकरण संख्या–42417/2022

नसीम बनाम सलमान व अन्य

<u>दिनांक 08.11.2024</u>

परिवाद पेश हुआ। परिवादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित।

परिवाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में परिवादी द्वारा स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा–२०० दं०प्र०सं० अंकित कराया गया है,किन्तु परिवादी द्वारा धारा–२०२ दं०प्र०सं० के अन्तर्गत किसी भी गवाह को न तो प्रस्तुत किया गया और न ही परिवादी उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को प्रस्तुत परिवाद में कोई रूचि नहीं रह गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पत्रावली पर विपक्षीगण को समन किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में परिवाद अन्तर्गत धारा–२०३ दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नन्दिनी उपाध्याय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर।